तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
20.8.15	पत्रावली लादुवास कैम्प कोर्ट पर पेश। वादी, प्रतिवादी स० 1 ने उपस्थित हो कर राजीनामा प्रपत्र पेश किया गया। जिस मे प्रतिवादिया श्रीमती लहरी पत्नी कैलाश गुर्जर की सहमति है कि वह नारायण पिता गोकल गुर्जर की विवाहिता पत्नी थी जिसने अपने पति नारायण की मृत्यु हो जाने से कैलाश पुत्र गोकुल गुर्जर के साथ पुनर्विवाह कर लेने से वादपत्र के पेरा 11 के उप पेरा (क) मे वर्णित आराजियात मे प्रतिवादिया का नाम दर्ज हो गया है उसे हटाकर उसके स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज कर वादीगण को खातेदार घोषित करने मे कोई आपत्ति नहीं है इस स्वीकारोक्ति के आधार पर वादीगण के पक्ष मे घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करने मे प्रतिवादिया को कोई आपत्ति नहीं है तदनुसार डिक्री वादीगण के पक्ष मे व प्रतिवादिया लहरी के विरुद्ध डिक्री पारित कर दी जावे। शेष प्रतिवादीगण योमल वगैरह के विरुद्ध वादीगण कोई अनुतोष नहीं चाहते है। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम गंभीरपुरा उर्फ हरजीखेडा व० दांतावाला के खाता स 38 मे आराजी नम्बर 59 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा व खाता स. 50 मे आ.न 71 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा का 1/5 हिस्सा एवं ग्राम दांतावाला के खाता स 160 आ.न 1514 रकबा 02 बिस्वा आ.न 1515 रकबा 03 बिस्वा, आ.न 1516 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 06 बिस्वा संपूर्ण भूमि	

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत ______ मुकाम ______

______ बनाम ______

इस्म मुकदमा शुजरावाद नं. 194/11 सन् ______

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं० 1 का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जावे। डिक्री जारी हो। आज यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से दाखिल हो। (देवी सिंह) पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर माण्डल	